18.8.23	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। उपखण्ड प... / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 24.8.23 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी, माण्डल
24/8/23	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 CPC पर सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी (प्रतिवादीगण) ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण (वादीगण) ने यह वाद जिस दस्तावेज के आधार पर पेश किया है वह अपंजीकृत होकर परिवार का दस्तावेज नहीं है। वादवर्णित भूमि ठाकुर रामसिंह चुण्डावत लसाड़िया से उदा वल्द रूपा द्वारा क्रय करना बताया है जो गलत है क्योंकि तत्समय में भूमि बिलानाम थी जिसको विक्रय करने का अधिकार ठाकुर रामसिंह को नहीं था। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा वाद खारिज फरमाया जावे। बहस में वकील अप्रार्थीगण (वादीगण) ने प्रार्थना पत्र के जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज सम्वत 2017 का है उस समय न तो पंजीयन होता था न ही स्टाम्प लगता था। यह दस्तावेज 30 वर्ष पुराना है जिसे स्टाम्प अधिनियम में ग्राह्य माना है। प्रार्थी (प्रतिवादी) के द्वारा जो बिन्दु प्रार्थना पत्र में अंकित किए हैं उन्हें जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद बिन्दु कायम करते हुए साक्ष्य लेकर वाद का निर्णय किया जाना न्याय के अनुरूप होगा। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 CPC खारिज फरमावें। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी तथा प्रार्थना पत्र के तथ्यों एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन से स्पष्ट है कि ग्राम लसाड़िया की आ०नं० 198 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा में से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादी सं० 1 लगायत 4 के श्वसुर/दादा एवं प्रतिवादी सं० 5 के पिता ने लसाड़िया के ठाकुर रामसिंह चुण्डावत से सम्वत 2017 में 220 रु० में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तब से हम वादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। परन्तु पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज स्टाम्प 10/- रु० नोन ज्यूडिशियल में अंकित तथ्यों के अध्ययन से स्पष्ट है कि यह स्टाम्प फागण सुदी 13 सम्वत 2017 में तरतीब किया जिसमें लिखा है कि ठाकुर श्री रामसिंह जी गांव लसाड़िया ने नन्दा वल्द उदा वल्द रूपा बलाई नि० लसाड़िया को 2 बीघा 10 बिस्वा जमीन 220 रु० में बेचना अंकित है। उक्त स्टाम्प में आराजी नम्बर का कोई उल्लेख नहीं है तथा वादपत्र में जो सजरा अंकित किया है उसमें मुख्य पुरुष रूपा (फौत) जिसके तीन पुत्र कजोड़-उदा (फौत) रामा (फौत)। उदा के दो पुत्र डालू (फौत) व बीरम जो प्रतिवादी सं० 5 है। एवं रामा के पुत्र प्रतिवादी भेरू दर्ज है। इस प्रकार भूमि का विक्रय नन्दा को किया जाना बताया है जिसका इस परिवार से कोई सम्बन्ध नहीं है। भूमि का विक्रय सम्वत 2017 में बताया जबकि ग्राम लसाड़िया की नकल जमाबन्दी सम्वत 2013 से 2016 में आ०नं० 198 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा किस्म पड़त I बिलानाम सरकार दर्ज है तो फिर ठाकुर रामसिंह चुण्डावत द्वारा उक्त भूमि

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

वाद सं० 184/19 बरदी v/s गेंदा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का विक्रय किस हैसियत से किया अर्थात बिलानाम भूमि को ठाकुर रामसिंह चुण्डावत को विक्रय करने का कोई अधिकार ही नहीं था। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2015 से 18 में आ०न० 198। रकबा 2बीघा 15बिस्वा जरिये ना० सं० 52 दि० 20/9/62 से बिलानाम से कमी करते हुए रामा पिता रूपा बलाई के नाम दर्ज होने का अंकन है। इस प्रकार वादीगण के द्वारा जिस दस्तावेज के आधार पर यह वाद पेश किया है चलने योग्य नहीं है। वादीगण ने अपने वादपत्र की कलम सं० 3 पेज संख्या पर यह अंकित किया कि उक्त आराजीयात पर सम्वत 2007 से यानि पिछले 63 वर्ष से भी अधिक समय से वादीगण एवं इनके पूर्वज उक्त आराजी पर निरन्तर काबिज हो काश्त करते आ रहे हैं दूसरी तरफ वाद में सबूत के लिए जो दस्तावेज पेश किया उसमें भूमि का विक्रय वादीगण के पूर्वज को सम्वत 2017 में करना बताया। इस प्रकार वादीगण का कथन विरोधाभाषी प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार प्रस्तुत वाद में कॉज ऑफ एक्शन भी दिनांक 15-10-2012 को पैदा होना भी अनुचित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं होने से प्रार्थी (प्रतिवादी सं०) का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा० दी० स्वीकार किया जाता है अतएव प्रार्थी (प्रति०सं०) का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा०दी० स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

डिक्री

(आ0 20 नियम 6 / जा0दी0)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान

वईजलास श्री हुकमीचन्द रोहलानिया (आर0ए0एस0)

अनवान प्रकरण

1. श्रीमती बरदी बेवा श्री डालु बलाई निवासी-लसाड़िया त० माडंल (मृतक होने से डिलिट)
2. श्रीमती सोम्नी D/o श्री डालु W/o लेहरू बलाई निवासी-मालपुरा त० माडंल
3 श्रीमती सुगना D/o श्री डालु W/o बालु बलाई निवासी-गुन्दली त० भीलवाडा
4 श्रीमती पप्पु D/o श्री डालु W/o श्री बीरम बलाई निवासी गुन्दली त० भीलवाडा
5. श्री बीरम S/o श्री उदा बलाई नि० लसाड़िया त० माण्डल मृतक के बजाय कायम मुकाम-
5/1 श्रीमती शोर्ती W/o श्री बीरम बलाई निवासी-लसाड़िया तहसील माण्डल
5/2 श्रीमती सुगना W/o श्री गिरधारी बलाई निवासी लसाड़िया तहसील-माण्डल
5/3 श्री अरविन्द S/o श्री गिरधारी बलाई नाबालिग नि० लसाड़िया त० माडल बेविलायत माता श्रीमती सुगना W/o श्री गिरधारी बलाई निवासी-लसाड़िया तहसील-माण्डल
5/4 श्री सुनील S/o श्री गिरधारी नाबालिग नि० लसाड़िया बेविलायत माता श्रीमती सुगना W/o गिरधारी बलाई निवासी-लसाड़िया तहसील-माण्डल
5/5 सुश्री कविता D/o श्री गिरधारी बलाई नि० लसाड़िया नाबालिग बेविलायत माता श्रीमती सुगना W/o श्री गिरधारी बलाई निवासी-लसाड़िया तहसील-माण्डल [वादीगण]

बनाम

1. श्री भैरु S/o श्री रामा बलाई निवासी-लसाड़िया तहसील-माण्डल
2 राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा० माण्डल तहसील-माण्डल

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 मुकदमा नं0 / पुराने-08/13 नये 184/19 निर्णय दिनांक 24-08-23

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरुप अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुददई व श्री अब्दुल रशीद पठान Adv. मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जा.दी० स्वीकार करते हुए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र खारीज किया जाता है।

आज तारीख 24-08-23 को मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा